

संदर्भ संख्या राबैं. डीएमएफआई/172990, 172993/सीबीपी/ 2024-25  
परिपत्र सं. 85/ डीएमएफआई -04 /2025

27 मार्च 2025

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदया/महोदय,

एसएचजी/जेएलजी-बैंक लिंकेज से संबंधित क्षमता निर्माण कार्यक्रम-  
प्रशिक्षण मॉड्यूल पर संशोधित पुस्तिका

जैसा कि आप जानते हैं, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों और एसएचजी/जेएलजी सदस्यों के क्षमता निर्माण के लिए, एसएचजी/जेएलजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों का समर्थन करने में नाबार्ड सबसे आगे रहा है। इसका उद्देश्य न केवल गुणवत्तायुक्त समूहों को बढ़ावा देना है, बल्कि एसएचजी/जेएलजी सदस्यों के लिए अधिक ऋण और आजीविका के प्रावधान के साथ कार्यक्रम को व्यापक और गहन बनाना भी है। बदलते पारिस्थितिकी ध्यान में रखते हुए, नाबार्ड द्वारा BIRD, लखनऊ के सक्रिय समर्थन के साथ एक व्यापक प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (TNA) किया गया। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, मौजूदा प्रशिक्षण मॉड्यूल को संशोधित किया गया है और इसका एक संकलित संस्करण आपकी जानकारी और व्यापक प्रसार के लिए अग्रेषित किया जा रहा है।

हमें उम्मीद है कि ये संशोधित मॉड्यूल सभी हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में सक्षम होंगे।

भवदीया,

हस्ता/-

(सुसीला चिंतला)  
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक: यथोक्त

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

सूक्ष्म ऋण नवप्रवर्तन विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 2653 0084, • फैक्स: +91 22 2652 8141 • ई मेल: [mcid@nabard.org](mailto:mcid@nabard.org)

Micro Credit Innovations Department

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 2653 0084 • Fax: +91 22 2652 8141 • E-mail: [mcid@nabard.org](mailto:mcid@nabard.org)